

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक:- एफ.1(2)आ.प्र.एवं सहा./लू-ताप/2024/

जयपुर, दिनांक

::अधिसूचना::

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्याक 2005 का 53), भारत सरकार के पत्र क्रमांक 33-03-2021-NDM-I दिनांक 12 जनवरी, 2022 तथा एसडीआरएफ नोर्म्स दिनांक 10.10.2022 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा लू-तापघात (Heat Wave) को राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा (State specific Disaster) के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा (State specific Disaster) से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा जारी राज्य आपदा मोचन निधि में निर्धारित मानक एवं दरों के अनुसार राहत प्रदान की जायेगी।

उक्त अधिसूचना जारी होने की दिनांक से प्रभावी होगी।

आज्ञा से

(भगवत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव


प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय जयपुर।
4. अवर सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह एवं आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, कृषि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
14. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
15. निजी सचिव, निदेशक, मौसम विभाग, राजस्थान।
16. अधीक्षक, केन्द्रीय राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है। कृपया इसकी 50 प्रतियां इस विभाग को भिजवाये।
- 17.....

Signature valid



Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2024.12.24 11:50:23 IST
Reason: Approved

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र साधारण	RAJASTHAN GAZETTE Ordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	जिल्द 76 पौष 12, गुरुवार, शाके 1946-जनवरी 2, 2025 अंक 40 Vol. 76 Pausa 12, Thursday, Saka 1946-January 2, 2025 No.40	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आजायें।

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 23, 2024

संख्या एफ.1(2)आ.प्र.एवं सहा/लू-ताप/2024/Rajkaj Ref No./12199647-आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्याक 2005 का 53), भारत सरकार के पत्र क्रमांक 33-03-2021-NDM-I दिनांक 12 जनवरी, 2022 तथा एसडीआरएफ नोर्म्स दिनांक 10.10.2022 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा लू-तापघात (Heat Wave) को राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा (State specific Disaster) के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा (State specific Disaster) से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा जारी राज्य आपदा मोचन निधि में निर्धारित मानक एवं दरों के अनुसार राहत प्रदान की जायेगी।

उक्त अधिसूचना जारी होने की दिनांक से प्रभावी होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

भगवत सिंह,

शासन संयुक्त सचिव।